भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केंद्रीय कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

11 मार्च, 2015

Hkfe vf/kxg.k (l'kk/ku) fo/k;d d fojk/k e

देश में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी की हिन्दुत्व फासीवादी भाजपा सरकार ने भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अध्यादेश को दो दिनों की चर्चा के बाद लोकसभा में 10 मार्च को पारित कराया है। हालांकि राज्य सभा में अभी चर्चा बाकी है। संसद में पूर्ण बहुमत के बावजूद संसद के भीतर और बाहर जबर्दस्त विरोध की आशंका के मद्धेनजर 31 दिसंबर, 2014 को इसे लागु किया गया था जिसके तुरंत बाद से देश भर में इस अध्यादेश के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज हो रहा है। यह अध्यादेश देश विरोधी एवं जन विरोधी खासकर आदिवासी व किसान विरोधी है। मोदी के 'मेक इन इंडिया' नारे के अनुरूप ही देशी कारपोरेट घरानों व विदेशी पूंजीपतियों को देश के जल–जंगल–जमीन व संसाधनों को कौड़ियों के भाव सौंपने के लिए ही उक्त अध्यादेश को लाया गया था। 'मेक इन इंडिया' दरअसल 'लूटो इंडिया' आह्वान के सिवाय और कुछ नहीं है। हमारी पार्टी की केंद्रीय कमेटी देश की जनता खासकर किसानों व आदिवासियों का आह्वान करती है कि वे भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अध्यादेश को वापस लेने की मांग को लेकर देश भर में धरना, जुलूस, पिकेटिंग, घेराव, चक्काजाम आदि जुझारु संघर्ष रूपों के जरिए व्यापक व संगठित जन आन्दोलन करें। प्रगतिशील, जनवादी बुद्धिजीवियों व मानवाधिकार संगठनों, मजदूरों से अपील करती है कि वे उक्त देश विरोधी अध्यादेश के खिलाफ आवाज बुलंद करें और देश की संपदाओं को हड़पने के देशी दलाल पूंजीपतियों व साम्राज्यवादियों की साजिशों को नाकाम करने आगे आवें।

हमारे देश की प्राकृतिक संपदाओं को लूटने के लिए सन् 1894 में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के द्वारा बनाया गया भूमि अधिग्रहण कानून ही तथाकथित आजादी के बाद से लेकर 2013 तक के 66 साल देश में लागू रहा और प्राकृतिक संपदाओं व संसाधनों की देशी, विदेशी पूंजीपतियों के द्वारा बेरोकटोक लूट जारी रही। इस दौरान करीबन दस करोड़ लोग जिनमें आदिवासी सबसे ज्यादा हैं, विस्थापित हो गये। बिना मुआवजे, कम मुआवजे, बिना सही पुनर्वास, बिना पारदर्शिता एवं बिना सहमति के ही इन तमाम लोगों को विस्थापित किया गया था। खासकर 5 वीं अनुसूची के द्वारा प्रदत्त ग्राम सभाओं के संवैधानिक अधिकारों की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी जनता को बड़े पैमाने पर उनकी जल–जंगल–जमीन से बेदखल किया गया था। जनता के जल–जंगल–जमीन को हड़पकर देशी, विदेशी पूंजीपतियों के हवाले करने की उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमण्डलीकरण की साम्राज्यवादी परस्त, जन विरोधी नीतियों पर तेजी से अमल करने की कोशिश के तहत ही यूपीए–2 की सरकार ने दिसंबर, 2013 में भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में सही मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार कानून–2013 बनाया। विकास के नाम पर दरअसल भूमि अधिर्गहण को आसान बनाने के लिए ही यह कानून लाया गया था। 'जन हित' की परिभाषा के दायरे को विस्तार देते हुए भूमि अधिग्रहण को देशी, विदेशी पूंजीपतियों के हित में और उनके ज्यादा अनुकूल बनाया गया था। हालांकि देश भर में जारी विस्थापन विरोधी आन्दोलनों, किसान व आदिवासी आन्दोलनों एवं हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी जनयुद्ध के चलते इस कानून में कुछेक ऐसे प्रावधानों को जोड़ दिया गया था जो जनानुकूल नजर आते हैं। हालांकि इन प्रावधानों का पालन कहीं भी ठीक ढ़ंग से नहीं हुआ था। निजी कंपनियों के द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए 80 फीसदी, सार्वजनिक व निजी भागीदारी–पीपीपी वाली परियोजनाओं के लिए 70 फीसदी मालिकों की सहमति को आवश्यक बनाया गया था। आदिवासियों के जमीन अधिग्रहण के पहले ग्राम सभाओं से परामर्श के पेसा कानून के प्रावधान को दरकिनार करके 80 व 70 फीसदी की बात कही गयी है। ग्राम सभाओं के आयोजन से लेकर मुआवजे तक हर मामले में पुलिस की लाठी, गोली, दबाव, धौंस झेलने किसान विशेशकर आदिवासी मजबूर हैं। अभी यह कानून साल भर भी अमल में नहीं था कि जनानुकूल दिखने वाले इन प्रावधानों को भी देश के विकास में बाधक बताते हुए मोदी की हिन्दुत्व फासीवादी सरकार ने इनमें देशी, विदेशी कारपोरेट घरानों को संसाधनों की सस्ती लूट की खुली छूट देते हुए पूरी तरह उनके अनुकूल संशोधन करते हुए 2013 के कानून की जगह भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अध्यादेश, 2014 को दिसंबर, 2014 से लागु कर दिया है। यह अब जगजाहिर हो चुका है कि मोदी के विकास का मतलब है, देशी, विदेशी कारपोरेट घरानों का विकास। मोदी अब मेक इन इंडिया के नारे के अनुरूप कारपोरेट घरानों के मुनाफे के लिए, पूंजी निवेश के लिए यानी बड़ी खनन परियोजनाओं, बड़े उद्योगों, बड़े बांधों, परमाणु संयंत्रों, हवाई अड्डों, सैनिका अड्डों, विशेष आर्थिक जोनों, स्मार्ट शहर आदि के लिए देश के जल–जंगल–जमीन व संसाधनों खासकर किसानों व आदिवासियों की जमीन को कौड़ियों के भाव आसानी से व बरोकटोक उपलब्ध कराने की साजिश के तहत ही इस जन विरोधी अध्यादेश को कानूनी अमली जामा पहनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों, गांव में बुनियादी ढ़ांचे का विकास, सस्ते मकान, औद्योगिक कॉरिडोर और पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए मालिकों की सहमति के प्रावधान को अब पूरी तरह हटा दिया गया है। भूमि अधिग्रहण से होने वाले सामाजिक प्रभाव के आंकलन से भी छूट दी गयी। इससे साफ जाहिर है कि अब किसान अपनी जमीन का मालिक नहीं रहा। उसकी जमीन के अधिग्रहण के संबंध में फैसला पूरी तरह सरकार लेगी। अधिग्रहित भूमि का पांच साल

के भीतर इस्तेमाल करने की समय सीमा को खत्म करके कंपनी को ही भूमि इस्तेमाल की समय सीमा तय करने की छूट दी गयी। इससे कारपोरेट कंपनियों को यह मनमानी करने की खुली आजादी मिलती है कि वे परियोजना के लिए आवश्यक भूमि व समयावधि को बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत कर सके। यहां यह उल्लेख करना लाजिमी होगा कि मोदी के खासम खास अदानी ने पूर्व में ही, इस तरह की छूट के बिना ही गुजरात में परियोजना के लिए प्राप्त जमीन को बेचकर 45 हजार करोड़ का जनधन हड़प लिया था। अब इस छूट के बाद क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। पुराने कानून में सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह कानून के लागू होने के दो साल तक उसे लागू कराने कोई भी कदम उठा सकती है। नए कानून में इस समयावधि को पांच साल तक बढ़ाकर पूंजीपतियों को मनमाने छूट दी गयी है। इस तरह के किसान विरोधी एवं दलाल पूंजीपति परस्त संशोधनों के साथ संसद में इसे पारित कराने मोदी सरकार आमादा है।

देश भर में इस संशोधन विधेयक के खिलाफ तीव्र आक्रोश फुट पड़ा। जनता को दिग्भ्रमित करने नये अध्यादेश में 9 छोटे–माटे संशोधनों के साथ उसे लोकसभा में पारित किया गया है। यहां यह गौर करने वाली बात है कि संशोधन विधेयक में किसानों व आदिवासियों के हितों के विपरीत के प्रावधान यथावत हैं। जनविरोधी भाजपा सरकार इसे 21 वीं सदी के विकास की जरूरतों को पूरा करने वाले अध्यादेश के रूप में प्रचारित कर रही है। 22 मार्च को अपने 'मन की बात' कार्यकम में न केवल देश के किसानों बल्कि समूचे देश को ही गुमराह करने की नाकाम कोशिश की। किसानों की ज्वलंत मुद्दों को छुआ तक नहीं। भूमि अधिग्रहण विधेयक के बारे में सफेद झूठ बोला। जबकि सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। यह इस बात से भी आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन के अनुषांगिक संगठनों को भी इस अध्यादेश का विरोध करने व उसके प्रति नाराजगी व्यक्त करने मजबूर होना पड़ा। यह अध्यादेश देश के किसानों व आदिवासियों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जल–जंगल–जमीन से आदिवासियों को बेदखल करने की साजिश है। अपने ही संविधान के द्वारा आदिवासियों को प्रदत्त पांचवीं अनुसूची, पेसा व ग्राम सभाओं के अधिकारों का खुला उल्लंघन का सबसे बड़ा मिसाल है। साम्राज्यवादी वित्तीय व आर्थिक संकट के बोझ को हमारे देश की जनता खासकर किसानों व आदिवासियों के कंधों पर लादने की कोशिश का हिस्सा है।

संशोधन विधेयक के विरोधी आन्दोलनों में किसान संगठनों, सामाजिक संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों सहित विपक्षी दल भी शामिल हैं। राजनीतिक दलों का हो हल्ला दरअसल जनता के बीच अपनी गिरती साख को बचाने की नाकाम कोशिश का हिस्सा है। विपक्षी संसदीय दलों का विरोध बेमानी है। आजादी के बाद से लेकर अब तक ये दल भू अधिग्रहण के खिलाफ कभी नहीं रहे। अब भी ये विधेयक के खिलाफ कतई नहीं हैं। यहां यह गौर करने वाली बात है कि यह संशोधन विधेयक अधिकतर संसदीय राजनीतिक दलों के समर्थन व राज्य सरकारों से सलाह–मशविरे के बाद ही लाया गया है। अध्यादेश के खिलाफ व्याप्त जन आक्रोश को देखते हुए ये जनपक्षधरता का दिखावा करने के तहत ही अध्यादेश में कुछ छोटे–मोटे संशोधनों की बात कर रहे हैं। विधेयक विरोधी आन्दोलन में शामिल गैर सरकारी संगठन भी विधेयक में कुछेक जनानुकूल संशोधनों की ही मांग कर रहे हैं या 2013 के कानून को यथावत जारी रखने की मांग कर रहे हैं। ये जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठाते हैं। उस दिशा में जनता को जाने से रोकने का प्रयास करते हैं। समाज में आमूलचूल परिवर्तन के लिए जारी हथियारबंद संघर्षों की राह से लोगों को भटकाने के अपने मूल मकसद के अनुरूप ही ये संगठन काम कर रहे हैं। जबकि जबरिया अधिग्रहण से प्रभावित जनता जी जान से लड़ रही है। विस्थापन के विरोध में, जल–जंगल–जमीन पर अपने अधिकार, अपने अस्तित्व व अस्मिता के लिए संघर्ष कर रही है। एक तरफ संसद में इस अध्यादेश पर बहस जारी है तो दूसरी तरफ नेशनल हाइवे प्राजेक्टों, बड़ी खनन परियोजनाओं, बड़े कारखानों, बड़े बांधों के खिलाफ यानी केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा दलाल पूंजीपतियों, बहु राष्ट्रीय कंपनियों के साथ किये गये तमाम एमओयु को रद्ध करने की मांग को लेकर देश भर में आन्दोलन उग्र हो रहे हैं। हमारी पार्टी इन तमाम आन्दोलनों का तहेदिल से समर्थन करती है और यह आह्वान करती है कि जोतने वाले को जमीन के नारे पर आधारित होकर क्रांतिकारी भूमि सुधारों के लिए हथियारबंद लड़ाई के रास्ते में आगे बढ़े। इस देश में नवजनवादी क्रांति को सफल बनाने के लिए हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी जनयुद्ध में शामिल होवें। हमारे देश के किसानों, मजदूरों, आदिवासियों सहित तमाम पीड़ित जनता की मुक्ति का सही व एकमात्र रास्ता यही है।

Abhay

(अभय)

प्रवक्ता,

केंद्रीय कमेटी,

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)